न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– नेहा गिरि, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर

अपील (प्रकरण) संख्या :– 02/2019 RCMS No.2019/00003

उनवानी प्रकरण :–

1. हरनेक सिंह पुत्र साहब सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी ग्राम करेरूआ ग्राम पंचायत धनौरा तहसील बाडी जिला धौलपुर ———— अपीलान्ट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी धौलपुर ———— रेस्पोडेन्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 31.01.2019 जिला रसद अधिकारी धौलपुर प्र0 स0 05/2019 व उनवानी प्रकरण सरकार बनाम हरनेक सिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत धनौरा 1/2 भाग

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से :– श्री श्री गोपाल शर्मा अभिभाषक।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री अनुभव पाराशर सहा0 लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी

निर्णय दिनांक 5.3.2019

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील जिला रसद अधिकारी धौलपुर के निर्णय दिनांक 31.1.2019 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि:– अपीलान्ट ग्राम पंचायत धनौरा के 1/2 भाग का उचित मूल्य दुकानदार है, जिसे प्रत्यर्थी द्वारा प्राधिकार पत्र माह अक्टूबर 2018 में दिया है। धनौरा ग्राम पंचायत के शेष 1/2 भाग के उचित मूल्य दुकानदार सरपंच पति दिनेश मीणा है। ग्राम पंचायत धनौरा की सरपंच देवकी मीणा अपीलार्थी से रंजिश रखती है, क्योंकि अपीलान्ट ने दिनांक 20.11.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी धौलपुर से उसकी शिकायत की थी, जो लम्बित है। इस शिकायत से नाराज होकर सरपंच देवकी मीणा ने दिनांक 30.1.2019 को माननीय खाद्य मंत्री को अपीलान्ट की झूठी शिकायत की। मंत्री महोदय ने प्रवर्तन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी उन्होंने भी झूठी रिपोर्ट शिकायत पर अंकित की। उक्त शिकायत एवं रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेण्ट ने अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से अग्रिम आदेश तक निलम्बित कर दिया। आदेश विरूद्ध विरूद्ध प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। शिकायत प्रार्थना पत्र पर सरपंच पति दिनेश मीणा के हस्ताक्षर हैं, किन्तु दिनेश मीणा अपीलान्ट के क्षेत्राधिकार के प्राधिकार पत्र के अन्तर्गत अपीलान्ट का ग्राहक नहीं है। बल्कि ग्राम पंचायत

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

धनौरा के आधे ग्राम का डीलर है। शिकायत प्रार्थना पत्र पर रामनिवास कुशवाह व महेश कुशवाह के हस्ताक्षर फर्जी कूट रचित बनाये गये है। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र ही माह अक्टूबर 2018 में जारी हुआ है। अपीलान्ट को उसी माह में 250 लीटर कैरोसिन वितरण के लिये दिया गया, जो अपीलान्ट ने ऑनलाइन वितरित किया, जिसका समस्त अभिलेख उसके पास उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन उपलब्ध है। इसके बाद अपीलान्ट ने आज तक वितरण के लिये कैरोसिन नहीं उठाया। इस प्रकार शिकायत पत्र में यह अंकन कि तीन माह से कैरोसिन का वितरण नहीं हुआ गलत है। अपीलान्ट ने माह अक्टूबर से अब तक चार बार गेहूँ का वितरण किया है, उसमें किसी प्रकार की उपेक्षा, लापरवाही, धांधली या कोताही नहीं की है यह अभिलेख भी ऑनलाइन उपलब्ध है। रेस्पोडेण्ट धारा 8 के अधीन अधिकतम 90 दिन के लिए प्राधिकार पत्र को निलम्बित करने का अधिकार रखते हैं, जबकि उन्होनें आक्षेपित आदेश से अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र को अग्रिम आदेश तक निलम्बित किया है, जो विधि विरूद्ध है। धारा 8 के अधीन प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाना तभी सम्भव है जबकि अपीलान्ट ने प्राधिकार पत्र में उल्लेखित शर्तो का उल्लघंन किया हो। अपीलान्ट ने किसी शर्त का उल्लघंन नहीं किया है। सरपंच ग्राम पंचायत धनौरा ने अपीलान्ट के क्षेत्र के खाद्यान वितरण के लिये शिकायत में ग्राम पंचायत के नजदीकी डीलर ठाकुरदास ग्राम रूपसपुर को देने की सिफारिश की, क्योंकि सरपंच पति दिनेश मीणा एवं ठाकुरदास आपस में मिले हुये हैं, इसलिए उक्त सिफारिश गलत की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.1.2019 अपास्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया कि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर मूल पत्रावली के साथ संलग्न की गई।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में प्रमाणित प्रति निर्णय दिनांक 31.1.2019, प्रमाणित प्रतिलिपि शिकायत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.1.2019 प्रमणित प्रतिलिपि शिकायत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.11.2018 द्वारा हरनेक सिंह विरूद्ध दिनेश मीणा पति सरपंच देवकी मीणा, मूल शपथ पत्र महेश कुशवाह पुत्र राधेशम दिनांक 5.2.2019, मूल शपथ पत्र रामनिवास कुशवाह दिनांक 5.2.2019, मूल शंपथ पत्र राजो दिनांक 5.2.2019, मूल शपथ पत्र राजेन्द्र कुशवाह दिनांक 5.2.2019, फोटो प्रति सूची राशन कार्ड होल्डर दिनांक 9.11.2018 पेश की । अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई।

रेस्पोडेण्ट की ओर से अपने समर्थन में पत्रावली के अतिरिक्त कोई अन्य साक्ष्य या दस्तावेज पेश नहीं किये ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस एवं अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत धनौरा के दिनेश मीणा ने अपने हस्ताक्षर से अपीलान्ट के विरूद्ध गलत शिकायत की जबकि दिनेश मीणा अपीलान्ट का उपभोक्ता नहीं है। बल्कि धनौरा ग्राम पंचायत के आधे भाग का उचित मूल्य का दुकानदार है। शिकायत प्रार्थना पत्र पर रामनिवास कुशवाह व महेश कुशवाह के फर्जी हस्ताक्षर बनाये गये है। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र माह अक्टूबर

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

2018 में जारी हुआ। अपीलान्ट को उसी माह में 250 लीटर केरोसिन वितरण हेतु दिया जो ऑनलाइन वितरण कर दिया गया। इसके पश्चात् अपीलान्ट ने केरोसिन नहीं उठाया। जबकि शिकायत तीन माह से कैरोसिन वितरण नहीं किया है। अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार की उपेक्षा, लापरवाही व धांधली नहीं बरती है। नियमानुसार प्राधिकार पत्र 90 दिन तक के लिए निलम्बित किया जाना सम्भव है, जबकि रेस्पोडेण्ट ने अग्रिम आदेश तक प्राधिकार पत्र निलम्बित किया है। अपीलान्ट ने धारा 8 राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 में उल्लेखित शर्तो का उल्लघंन नहीं किया। दिनेश मीणा व सरपंच ने अधिकारों का उल्लघंन करते हुये नजदीकी डीलर ठाकुरदास ग्राम रूपसपुर को अपीलान्ट का चार्ज दिलाने की सिफारिश की। इससे यह सिद्ध है कि सरपंच व ठाकुरदास आपस में मिले हुये है। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र जिला रसद अधिकारी को सम्बोधित है, किन्तु मंत्री महोदय को दिया गया है। मंत्री महोदय ने प्रवर्तन अधिकारी से रिपोर्ट मॉगी, जिसमें अंकित है कि अपीलान्ट का व्यवहार बहुत खराब है। शिकायत प्रार्थना पत्र में शिकायतकर्ता रामनिवास व महेश कुशवाह के हस्ताक्षर है, वह फर्जी है। इस सम्बन्ध में शिकायत कर्ता रामनिवास व महेश कुशवाह ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होनें अपने हस्ताक्षर नहीं होना बताया है। शिकायत की जॉच के सम्बन्ध में प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जॉच के दौरान किसी भी शिकायत कर्ता एवं उपभोक्ता के बयान नहीं लिये हैं । ना ही मौका पर्चा बनाया गया है। प्रतर्वन अधिकारी ने दिनांक 31.1.2019 को रेस्पोडेण्ट को अपनी जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की । उसी दिनांक को ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया, जबकि रेस्पोडेण्ट को जॉच रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को कारण बताओ नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका देना चाहिए था, जो अधीनस्थ न्यायालय नहीं किया जाकर कानून का उल्लंधन किया जो प्राकृतिक सिद्धान्त व न्यायिक प्रकिया के विपरीत है। किसी भी उपभोक्ता द्वारा अपीलान्ट की शिकायत नहीं की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्राधिकार पत्र की किसी शर्त का उल्लघंन नही किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.1.2019 निरस्त किया जावे ।

रेस्पोडेण्ट के विद्धान सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि शिकायत प्रार्थना पत्र में तथ्य सही है कि अपीलान्ट का व्यवहार उपभोक्ता के प्रति अच्छा नहीं हैं। अपीलान्ट द्वारा गत तीन माह का केरोसिन वितरण नहीं किया हैं एवं गेहूँ वितरण के सम्बन्ध में भी उसकी कई शिकायत है। प्रवर्तन अधिकारी की जॉच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलान्ट समय पर राशन वितरण नहीं करता है। रेस्पोडेण्ट द्वारा जारी आदेश दिनांक 31.1.2019 सही है इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.1.2019 यथावत रखा जावे ।

दोनों पक्षों के विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :–

1. दिनेश मीणा एवं रामनिवास कुशवाह, महेश कुशवाह ने एक शिकायत पत्र अपीलान्ट के विरूद्ध मंत्री महोदय के समक्ष दिनांक 30.01.2019 को मत्री महोदय के धौलपुर आगमन पर प्रस्तुत किया, जिस पर मंत्री महोदय ने प्रवर्तन अधिकारी से रिपोर्ट लेने के आदेश दिये। मंत्री महोदय द्वारा किस अधिकारी को निर्देश दिये कि प्रवर्तन अधिकारी से रिपोर्ट लेवे स्पष्ट नहीं है।

नेहा गोयल
जिला कलक्टर धौलपुर

2. प्रवर्तन अधिकारी ने अपनी जॉच रिर्पाट में अंकित किया है कि सरपंच ग्राम पंचायत धनौरा द्वारा उचित मूल्य दुकानदार हरनेक सिंह की सही समय पर वितरण नहीं करने की शिकायत हैं । सरपंच द्वारा आमजन के साथ अभ्रद व्यवहार करने बावत अवगत कराया। अतः उचित मूल्य दुकानदार के प्राधिकार पत्र को उपभोक्ता हितों के ध्यान में रखते हुए निलम्बन करने की सिफारिश की है। प्रवर्तन अधिकारी ने दौराने जाँच न तो शिकायतकर्ताओं के बयान लिये ना ही किसी उपभोक्ता के बयान लिये न ही कोई साक्ष्य एकत्रित की । प्रवर्तन अधिकारी ने जाँच के दौरान मौका पर्चा नहीं बनाया गया। प्रवर्तन अधिकारी ने जाँच रिपोर्ट में यह भी अंकित नहीं किया है कि अपीलान्ट द्वारा प्राधिकार पत्र की किस शर्त का उल्लघंन किया गया है। इस प्रकार जॉच रिपोर्ट सन्देहाप्रद है।
3. प्रवर्तन अधिकारी ने जॉच रिपोर्ट दिनांक 31.1.2019 को रेस्पोडेण्ट के समक्ष प्रस्तुत की । रेस्पोडेण्ट ने उसी दिनांक को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र अग्रिम आदेश तक निलम्बित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई कारण बताओं नोटिस जारी नहीं किया गया, ना ही अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया तथा प्राधिकार पत्र अग्रिम आदेश तक निलम्बित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई उक्त कार्यवाही प्राकृतिक सिद्धान्तों एवं न्यायिक प्रकिया के विपरीत है।
4. शिकायत पत्र में जिन रामनिवास व महेश के हस्ताक्षर होना अंकित है, उन्होनें अपने शपथ पत्र में अकिंत किया है, शिकायत पत्र पर उनके हस्ताक्षर नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि शिकायत फर्जी है ।
5. अपीलान्ट द्वारा उपभोक्ताओं से अभ्रद व्यवहार करने सम्बन्धी कोई साक्ष्य व दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ना ही दौरान जाँच प्रवर्तन अधिकारी ने किसी उपभोक्ता के बयान लिये है। इस प्रकार अपीलान्ट का उपभोक्ताओं के प्रति व्यवहार पर संदेह नहीं किया जा सकता।
6. अपीलान्ट द्वारा प्राधिकार पत्र में दी गई किसी भी शर्त का उल्लघंन नहीं किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना व अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.1.2019 निरस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.01.2019 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापिस भिजवाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(नेहा गिरि)
जिला कलक्टर, धौलपुर